भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1163

जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है ।

23 अग्रहायण, 1944 (शक)

सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमला

1163. श्री डी. एम. कथीर आनन्द :

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

श्री अनुराग शर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर भारत में साइबर पुलिस के पास देश के भीतर या विदेशों से उकसाये गए सरकारी वेबसाइटों या डेटा पर किसी भी साइबर हमले से निपटने और उसे रोकने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ पर्याप्त तकनीकी/अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अत्याधुनिक साइबर पुलिसिंग विकसित करने के लिए विशेषकर कितनी राशि निर्धारित/वितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार की लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए देश में एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार साइबर अपराध से निपटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार और राज्य पुलिस की है । राज्य सरकार साइबर संबंधी पुलिस कार्यों के लिए अपने पुलिस बलों को पर्याप्त तकनीकी/अनुसंधान सुविधाओं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी गैजेट्स और प्रशिक्षण से संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता में आवर्धन के लिए विभिन्न सलाहों और योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों की पहलों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त, सीईआरटी-इन जांच के दौरान आवश्यकता के अनुसार विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है ।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत, साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं को नियुक्त करने एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता में आवर्धन करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को 99.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पुलिस योजना के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता देने के तहत, नवीनतम प्रशिक्षण गैजेट्स, आधुनिक संचार/फोरेंसिक उपकरणों, साइबर पुलिसिंग उपकरणों आदि का अधिग्रहण करने के संबंध में

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को 1,042.94 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक एक व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था, ताकि पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारी प्रमाणन के साथ-साथ साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी क्षमता में आवर्धन कर सकें। इसके अलावा, जांच और अभियोजन के बेहतर संचालन के लिए पुलिस कर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

****